पृष्ठभूमि

घर के अन्दर हो रही हिंसा को हिंसा न मानकर ''घरेलू मामला'' कहकर टाल देना, हमारी आदत/संस्कृति बन गई है। घरेलू हिंसा महिलाओं द्वारा सही जाने वाली हिंसाओं का सबसे प्रचलित रुप है। कई बार तो पीड़ित महिला को खुद को अहसास नही होता है कि उसके साथ कुछ हिंसा हो रही है। इसकी न तो कोई रिर्पोट होती है, न छानबीन की जाती है। यह हिंसा घर के चार दीवारी के अन्दर घटित होती है और यदि महिला इसकी सूचना दर्ज करती है तो उसे समाज द्वारा कलंकित होने का भय भी सताता रहता है।

घरेलू हिंसा क्या है?

घर/परिवार के अन्दर महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ हो रही सभी प्रकार की हिंसा- घरेलू हिंसा है। यह हिंसा करने वाली /वाला परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है।

घरेलू हिंसा को रोकने के लिये सन् 2005 में 'घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम- 2005', कानून पास किया गया जो भारत में वर्ष 2006 में लागू हुआ।

इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के कई रुप व प्रकार बताये गये हैं-

1. शारीरिक पीड़ा- शारीरिक पीड़ा का मतलब है पिटाई करके या बल के जरिये तकलीफ देना। जैसे- मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दाँत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का मारना, या किसी अन्य तरीके से शारीरिक पीड़ा पहुँचाना। ऐसा कोई भी व्यवहार करना जिससे महिला के शरीर अथवा स्वास्थ्य या विकास को नुकसान पहुंचता हो, शारीरिक हिंसा है।
2. यौनिक पीड़ा- यौनिक पीड़ा का मतलब है-
   - परिवार के किसी भी पुरुष द्वारा महिला के साथ महिला की ईच्छा के विरुद्व संभोग करना।
   - अगर पति भी पत्नी की मर्जी के बगैर उसके साथ संभोग करे तो यह यौनिक हिंसा है।
   - महिला को अश्लील सामग्री देखने हेतु मजबुर करना।
   - महिला का अन्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिये उपयोग करना।
   - महिला की ईच्छा के विरुद्वउसके शारीरिक अंगों को हाथ लगाना।
   - महिला के साथ दुर्व्यवहार करने, उन्हें नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिये लैंगिक तरीके का उपयोग करना।
   - अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का प्रयोग करना या महिला को करने के लिये मजबूर करना।
   - बालक-बालिका के साथ यौनिक दुर्व्यवहार करना।
3. मौखिक और भावनात्मक पीड़ा- मौखिक और भावनात्मक पीड़ा के अन्तर्गत -
   - महिला का अपमान करना, गालियां देना।
   - उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, कलंक लगाना।
   - लड़का न होने पर अपमानित करना।
   - महिला का मजाक उड़ाना, निन्दा करना या उपहास करना।
   - महिला को नौकरी करने से रोकना या नौकरी छोड़ने के लिये मजबूर करना या नौकरी में बाधा डालना।
   - महिला को या महिला की देख रेख में पल रहे बालक को विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक स्थान पर जाने से रोकना या घर के बाहर जाने से रोकना।
   - अपनी ईच्छा के विरुद्वविवाह करने के लिये मजबूर करना।
   - आत्महत्या करने की धमकी देना।
   - किसी विशिष्ट/निश्चित व्यक्ति से मिलने पर प्रतिबन्ध लगाना।
   - कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार करना।
4. आर्थिक पीड़ा -
   - महिला को या संतानों को भरण पोषण के लिये धन न देना।
   - महिला को या संतानों को खाना, कपड़े, दवाईयां आदि उपलब्ध नहीं करवाना
   - महिला को रोजगार चलाने से रोकना या बाधा डालना।
   - महिला की आय नौकरी, मजदूरी, व्यवसाय से कमाई हुई छीन लेना। और महिला को खुद का खर्चा न देना।
   - महिला को घर से बाहर निकाल देना या निकल जाने के लिये मजबूर करना या घर के किसी हिस्से में जाने पर या उपयोग करने पर रोक लगाना।
   - किराये पर लिये गये मकान का किराया न देना। बिजली आदि खर्चो का भूगतान न करना।
   - घर में कपड़े या घर गृहस्थी की चीज वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगाना।
   - महिला को सूचित किये बिना व बिना सहमति लिए उसके स्त्रीधन या अन्य मूल्यवान वस्तु को बेच देना या खर्च कर देना या अपने कब्जे में कर लेना।
   - दहेज की मांग करना।
   - महिला को मिल रही पेंशन की राशि हथिया लेना।

हिंसा या घटना की शिकायत कौन कर सकता है?

1. स्वयं पीड़ित महिला जिसके साथ हिंसा हुई है।
2. पीड़िता के परिवार का कोई भी सदस्य जो 18 साल से बड़ी आयु का ना हो।
3. अन्य व्यक्ति जिसे हिंसा के बारे में जानकारी हो।

शिकायत किस को दर्ज करवा सकते हैं?

1. संरक्षण अधिकारी को
2. सेवा प्रदाता को
3. पुलिस अधिकारी को
4. मजिस्ट्रेट को

शिकायत कैसे की जा सकती है?

1. शिकायत लिखित या मौखिक रुप में की जा सकती है।
2. आपातकालीन स्थिति में दुरभाष, ईमेल या अन्य तरीके से सूचना अथवा शिकायत कर सकते हैं।

पीड़ित महिला को राहत के लिए की जाने वाली कार्यवाही के अन्तर्गत :

1. आश्रय प्रदान करना : पीड़ित महिला को पंजीकृत आश्रयगृह में आश्रय प्रदान करना। (धारा'6 के अर्न्तगत)
2. चिकित्सा प्रबन्ध : आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित महिला के लिये चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाना।

3. आनुतोष आदेश : आवश्यकता पड़ने पर मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से संरक्षण आदेश, आर्थिक सहायता आदेश, घर में आवास का आदेश व बच्चों की कस्टडी का आदेश जारी करना।

4. निःशुल्क कानूनी सहायता : पीड़िता को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निःशुल्क कानूनी सेवा लेने का अधिकार है। जिसके सम्बन्ध मे संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाताओं द्वारा आवश्यक जानकारी दी जायेगी और यह सहायता संरक्षण अधिकारी उपलब्ध करवायेगा।

5. घरेलू घटना रिर्पोट (डी.आई.आर) दर्ज करवाना : संरक्षण अधिकारी द्वारा घरेलू घटना रिर्पोट दर्ज कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना।

6. मजिस्ट्रेट द्वारा शीघ्र सुनवाई, अंतरिम आदेश एवं 60 दिन के अन्दर मुकदमे का निपटारा करना।

7. पीड़िता द्वारा अपील : पीड़िता यदि मजिस्ट्रेट के आदेश से सन्तुष्ट नही है तो 30 दिन के अन्दर मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील कर सकती है।

8. आदेश उल्लंघन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना : मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेशों की पालना न की जाने पर महिला एक्ट की धारा 31 के अर्न्तगत मुकदमा दर्ज करवा सकती है। यह संज्ञेय तथा गैर जमानतीय अपराध है।

पीड़िता को राहत पहुचांने के लिए राहत आदेश के प्रकार :

1. संरक्षण आदेश : धारा -12 के अर्न्तगत - हिंसा करने वाले व्यक्ति को
   - पीड़िता से व्यक्तिगत, मौखिक, लिखित या टेलीफोनिक सम्पर्क करने से प्रतिबद्ध करना।
   - ऐसी सम्पत्ति, बैंक लोकर या बैंक अकाउन्टस का उपयोग करने से प्रतिबद्ध करना जिसमें पीड़िता का भी हिस्सा है।
   - पीड़िता के नातेदारो, आश्रितो या उसकी सहायता करने वालो के विरुद्ध हिंसा पहुंचाने से प्रतिबद्ध करना।

2. निवास आदेश : मजिस्ट्रेट को सुनिश्चित हो जाने पर कि पीड़िता के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो वे निम्न लिखित निवास आदेश जारी कर सकते हैं-
   - साझा गृहस्थी से पीड़िता को वंचित न करने के आदेश व घरेलू हिंसा करने वाले को गृहस्थी से हटाये जाने के आदेश।
   - पीड़िता को उसी स्तर का आवास उपलब्ध करवाये जाने के आदेश जैसे पीड़िता अपनी गृहस्थी में रह रही थी।
   - मजिस्ट्रेट पीड़िता या उसके बच्चों की सुरक्षा हेतु आदेश पास कर सकता है।
   - पीड़िता को उसके स्त्रीधन या अन्य मूल्यवान संपत्ति का हक देने का आदेश।

3. आर्थिक सहायता का आदेश - (धारा-19)

घरेलू हिंसा की घटना रिर्पोट के पश्चात् मजिस्ट्रेट पीड़िता व उसकी संतान को आर्थिक सहायता हेतु आदेश दे सकेंगे। भरण-पोषण हेतु मासिक या एक मुश्त भुगतान का आदेश दिया जा सकेगा।

4. अभिरक्षा कस्टडी आदेश - (धारा- 20)

कस्टडी आदेश के तहत् मजिस्ट्रेट पीड़िता को उसकी संतान की अस्थायी कस्टडी सौप सकते हैं।

5. क्षतिपूर्ति आदेश - (धारा- 21)

पीड़िता को घरेलू हिंसा के फलस्वरुप पहुंची क्षति जिसमें मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट भी शामिल है, के विरुद्ध क्षतिपूर्ति आदेश दिया जा सकता है।

यह भी है नियम :

- पीड़ित महिला के बयानों के आधार पर केस का फैसला होगा और इस अपराध में अदालत ही जमानत देने की अधिकारी है, पुलिस नहीं।
- न्यायालय जो आदेश देगा उसकी एक कॉपी पीड़िता, पुलिस व सेवा देने वाली संस्था को मुफ्त दी जायेगी।
- यदि पहली नजर में मजिस्ट्रेट को यह लगे कि महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो वे अंतरिम व एक तरफा आदेश भी दे सकते हैं।
- यदि महिला का कोई नुकसान हुआ है या उसे चोट आई है तो मुआवजे का आदेश भी दिया जा सकता है।
- मजिस्ट्रेट के निर्णय के संतुष्ट न होने पर 30 दिन के अन्दर सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है।

इस प्रकार 'घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम- 2005' कानून की सहायता से महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा से रक्षा की जा सकती है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम- 2005

एकल नारी शक्ति संगठन राजस्थान

39, खारोल कोलोनी, उदयपुर - 313004 (राज.),
फोन : 0294-2451348, फैक्स : 0294-2451391
ईमेलः astha39@gmail.com
3, पीपलदा हाउस, सिविल लाइन, कोटा-324008 (राज.),
फोन : 0744-2450726
ईमेल : ensskota@gmail.com
वेबसाईट : www. strongwomenalone.org